Regarding problems being faced by in-service teachers by making Teacher Eligibility Test (TET) compulsory as service condition

श्री इमरान मसूद **(**सहारनपुर**):** सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान टीटीई निर्णय परीक्षकों की सेवा-सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़े हुए एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

सभापति महोदया, सितंबर, 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षकों के लिए नियुक्तियों की तिथि चाहे जो भी हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20,00,000 शिक्षकों का क्वॉलिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में पड़ गया है। अनेक शिक्षक, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व एनसीटीई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधिपूर्वक नियुक्त एवं विधिसम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असामंजस्य, तनाव व असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए हैं।

सभापति महोदया, यह विदित है कि आरटीआई अधिनियम और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी स्थिति 27 जुलाई, 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक नियमों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा, बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा।

सभापति महोदया, मेरी केन्द्र सरकार से विनम्र मांग है कि इस निर्णय को केवल वैचारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे, ताकि देश भर के शिक्षकों की सेवा, अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके।